न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 60/2023
रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, पंचायत समिति क सामने वाली गली, वार्ड नं0 19, चिडावा जिला झुंझुनूं
मो0न0 9413366054, 6376308424

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 10.04.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 60/2023 पर दिनांक 22.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/1124–25 दिनांक 22.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/366 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, पंचायत समिति के सामने वाली गली, वार्ड नं0 19, चिडावा जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे 07.02.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय/ सू0अ0/23/54 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया। उक्त क्रम मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने पत्र कमांक 168 दिनांक 20.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ज) के अन्तर्गत वांछित सूचना व्यक्तित सूचना एवं लोकहित सिद्व नही होने के कारण तथा तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण देय नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। बहस के दौरान अपीलार्थी ने कथन किया कि मेरे द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही हुई है। पूर्व मे मुझे नकल दी गई है। फिर भी यदि तृतीय पक्ष की सूचना मानी जाती है तो श्रीमती अनिता खीचड, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा व श्री रमेश चौधरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, चिडावा द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब के आधार पर अग्रिम कार्यवाही के लिए किसको लिखा गया है व किस पत्रांक से लिखा गया है बाबत जानकारी दे दी जावे।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/23/366 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, पंचायत समिति के सामने वाली गली, वार्ड नं0 19, चिडावा जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे 07.02.2023 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:13:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू